रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26,1935
No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSHA 26, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सा. का.नि. 18(अ). – केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 क की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र, ब्लाक-III, जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली 110067, जोकि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक संगठन है, को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल अभिकरण/अभिहित करती है।

[फा. सं. 9(16)/2004-ई.सी.]
आर.के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

S.O. 18(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby designates the National Critical Information Infrastructure Protection Centre, Block-III, JNU Campus, New Delhi-110067, an organisation under the National Technical Research Organisation, as the national nodal agency in respect of Critical Information Infrastructure Protection.

[No. 9(16)/2004-EC]
R.K. GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सा.का.नि.19(अ).- केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70क की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खण्ड (यग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र और कार्यों तथा दायित्वों के निर्वहन की रीति) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र से उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं—** (1) इन नियमों से जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "उपयुक्त सरकार" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में परिभाषित अनुसार उपयुक्त सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "निगमित निकाय" से अधिनियम की धारा 43क के स्पष्टीकरण (1) में परिभाषित निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(घ) "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना" से अधिनियम की धारा 70 के उपखण्ड के स्पष्टीकरण में परिभाषित महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना अभिप्रेत है;

(ङ) "महत्वपूर्ण सेक्टर" से ऐसे सेक्टर अभिप्रेत हैं, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनके अक्षम बनाने या विनाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(च) "भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल" से अधिनियम की धारा 70ख की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल अभिप्रेत है;

(छ) "मध्यवर्ती" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) में परिभाषित "मध्यवर्ती" अभिप्रेत है;

(ज) "नोडल अधिकारियों" से समुचित सरकार (सरकारों) और उसके अभिकरणों, निगमित निकायों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभिहित निकायों के नामनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत हैं, जो अभिहित नोडल अभिकरण या उसकी इकाइयों को जब भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण सूचना अवसरंचना और संबद्ध संरक्षित प्रणालियों के संरक्षण के लिए सूचित करेंगे, सहयोग देंगे और सहायता प्रदान करेंगे ;

(झ) "तकनीकी केन्द्र" से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र या उचित सरकारों और इसकी एजेंसियों की तकनीकी इकाइयां अभिप्रेत हैं, जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की संरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के साथ ससंजक और सहयोग से कार्य करेगा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नही हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. (1) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र अधीन अभिहित (इसके पश्चात एनसीआईआईपीसी कहा गया है) महत्वपूर्ण सूचना अवसरंचना के संरक्षण के संबंध में अधिनियम की धारा 70क के अधीन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण होगा और अधिसूचित किए जाने वाले पते में से कार्य करेगा ।

(2) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) का भाग होगा और एनटीआरओ के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा।

(3) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र सरकारी छुट्टियों सहित वर्ष के सभी दिन चौबीस घंटे कार्य करेगा। एनसीआईआईपीसी का पता और अन्य संपर्क विवरण इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र का क्षेत्र भारतीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होगा जैसा कि रक्षा मंत्रालय के अधीन अधिसूचित को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

4. **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र के कार्य और कर्त्तव्य—** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र के कार्य और कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-

(1) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र राष्ट्र की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए सभी उपाय करने के लिए राष्ट्रीय नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

(2) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र साइबर आतंकवाद, साइबर वारफेयर और अन्य खतरों के विरूद्ध महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की भेद्यता कम करने के उद्देश्य से अनिवार्यत: संरक्षण करेगा और परामर्श देगा।

(3) अधिसूचित करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु सभी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घटकों की पहचान करना।

(4) अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के विरुद्ध साइबर सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए सरकारों को भी सामरिक नेतृत्व और सामंजस्य प्रदान करना।

(5) पूर्व चेतावनी या सतर्कता के लिए नीति मार्गदर्शन विशेषज्ञता-हिस्सेदारी तथा स्थितिजन्य जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को राष्ट्रीय स्तरीय खतरों के समन्वय, भागीदारी, मानीटरी, एकत्रण, विश्लेषण और भविष्यवाणी करना। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना प्रणाली के संरक्षण का आधारभूत दायित्व उस महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को चलाने वाले अभिकरण का है।

(6) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण की बावत उपयुक्त योजनाएं तैयार करने, मानक अपनाने, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और प्रापण प्रक्रमों के परिमार्जन में सहायता करना।

(7) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए उनके प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन हेतु संरक्षा रणनीतियों, नीतियां, भेद्यता आकलन और लेखा परीक्षण प्रणालियां और योजनाएं तैयार करना।

(8) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए अन्तरराष्ट्रीय भागीदारियों के साथ व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, शैक्षिक संस्थाओं के साथ घनिष्ट रूप से कार्य करने के लिए कौशल विकास करने और उसे समर्थ बनाने के लिए नवीन भावी प्रौद्योगिकी के सृजन, सहयोग करने के लिए अनुसंधान और विकास तथा अन्य कार्यकलाप करना, सहायता अनुदान सहित निधियां प्रदान करना।

(9) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना अथवा आयोजित करना साथ ही लेखापरीक्षा और प्रमाणन अभिकरणों का विकास और प्रशिक्षण।

(10) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग कार्यनीतियां तैयार करना और उनका निष्पादन करना।

(11) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और इस क्षेत्र तथा सुसंगत क्षेत्रों में कार्यरत अन्य संगठनों के घनिष्ठ समन्वय में पणधारियों के परामर्श से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा और पद्धतियां, प्रक्रियां, निवारण एवं प्रत्युत्तर से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्श और सुमदयता या लेखा-परीक्षा आदि जारी करना।

(12) भारतीय कम्प्यूटर आपात दल तथा क्षेत्र में संबंधित अन्य संगठनों के साथ हमलों तथा अन्य भेद्यताओं से संबंधित साइबर घटनाओं और अन्य सूचना का आदान-प्रदान।

(13) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को कोई खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र सूचना मंगा सकता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संबंध में सूचना देने वाले या सूचना रखने वाले व्यक्तियों को निदेश देगा।

5. कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन की रीति—

(1) (क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंधित नोडल अधिकारियों, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और क्षेत्र में तथा सुसंगत क्षेत्रों में कार्यरत अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग या समन्वय से अपने कार्यों को करेगा और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(ख) खतरों या भेद्यताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्राथमिकता साधारणत: अवरोहण क्रम में प्राथमिकता देने के लिए खतरे के प्रकार, कठोरता, प्रभावित निकाय तथा संसाधनों की उपलब्धता और रीति पर होगी, अर्थात :-

(i) खतरा या भेद्यता से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को महत्वपूर्ण भौतिक या आर्थिक या अन्य नुकसान हो सकता है;

(ii) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के अधीन शामिल सरकारी संपत्ति को खतरा है;

(iii) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के पर्याप्त संख्या में क्षेत्र को खतरा है;

(iv) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का एक विशिष्ट क्षेत्र खतरे में है।

(2) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र के साथ संपर्क

(क) विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधित नोडल अधिकारी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र के साथ संचार के सभी उपयुक्त या उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके सम्पर्क करेंगे।

(ख) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र अपने ध्यान में आने वाली किसी भेद्यताओं/खतरे, और जो राष्ट्र की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेगा और उपयुक्त उपाय करेगा।

(ग) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए 24X7 हेल्प डेस्क रखेगा।

(3) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र – प्रचालन और अनुक्रिया

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र, संबंधित नोडल अधिकारियों और अन्य अभिकरणों जैसे इस क्षेत्र में कार्यरत कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के के साथ संयुक्त रूप से सहयोग से परामर्श या चेतावनियां जारी करेगा और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए खतरे/भेद्यताओं का समाधान करने में मार्गदर्शन और विशेषज्ञता का योगदान करेगा।

(ख) संभावित/वास्तविक राष्ट्र स्तरीय खतरे की दशा में यह निर्णायक भूमिका निभाएगा और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के क्षेत्र में भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के घनिष्ठ सहयोग से विभिन्न पणधारियों की प्रतिक्रिया का समन्वय करेगा।

(ग) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए ट्रैफिक डाटा की मानीटरी और संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना विनिर्दिष्ट और केवल उनकी साइबर संरक्षण आवश्यकताओं से सुसंगत अधिनियम की धारा 69ख और तदधीन अधिसूचित नियमों का आवलंब ले सकेगा।

(घ) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के प्रयोजन के लिए साइबर सूचना के अवरोधन/मानीटरी/उसे डिक्रिप्ट करने तथा ब्लाक करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवसंरचना केंद्र की शक्तियां गृह मंत्रालय तथा एनटीआरओ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कानून और मानक परिचालन प्रक्रियाओं/पद्धतियों के अनुसार होंगी।

6. सलाहकार समिति—

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र को अधिदेशित कर्तव्यों और भूमिका को पूरा करने के लिए नीति विषयों और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के से संबंधित उपायों पर परामर्श देने के लिए एक परामर्शदाता समिति होगी।

(ख) सलाहकार समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :-

(I)	अध्यक्ष/वैज्ञानिक सलाहकार, एनटीआरओ	- अध्यक्ष
(II)	गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
(III)	विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
(IV)	दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
(V)	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
(VI)	व्यय विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
(VII)	रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
(VIII)	महानिदेशक, सर्ट-इन	- सदस्य
(IX)	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
(X)	मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
(XI)	विषय/डोमेन विशेषज्ञ (अध्यक्ष द्वारा नामानिर्दिष्ट)	- सदस्य
(XII)	एनटीआरओ के दो प्रतिनिधि	- सदस्य
(XIII)	आसूचना ब्यूरो का प्रतिनिधि	- सदस्य
(XIV)	यथाअपेक्षित किसी अन्य मंत्रालय का प्रतिनिधि	- विशेष आमंत्रित
(XV)	(क) उद्योग (ख) निगमित निकाय (ग) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रतिनिधि	- विशेष आमंत्रित
(XVI)	राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (चक्रानुक्रम के आधार पर)	- विशेष आमंत्रित
(XVII)	महानिदेशक, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र	-सदस्य-संयोजक

(ग) यथाअपेक्षित अनुसार सलाहकार समिति की बैठक होगी।

(घ) एनसीआईआईपीसी के कार्यकरण से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे का समाधान करने के लिए सलाहकार समिति उप-समितियों का गठन कर सकेगी।

7. अनुसंधान और विकास—

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र इस संबंध में सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसंधान और विकास में सहयोग (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के लिए निम्नलिखित से सहयोग की मांग तथा अनुरोध कर सकेगा -

(i) सरकारी संगठन अथवा निकाय, संस्थान, विकास, अभिकरण या सोसायटियां आदि;

(ii) भारत में या भारत से बाहर के विख्यात संस्थान;

(iii) निगमित निकाय तथा उद्योग संघ; तथा

(iv) विषय या डोमेन विशेषज्ञ

[फा. सं. 9(16)/2004-ई.सी.]

आर.के. गोयल, संयुक्त सचिव